कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक: भू.अ./नविआ/91 — दिनांक: 12-6-91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वीराज नगर योजना)।

- - - - - -

मुकदमा नं:-

1. 426/88
2. 427/88
3. 429/88
4. 425/88
5. 432/88
6. 440/88
7. 428/88

:- अवार्ड :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक: प.6(15)नविआ/11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 7 जुलाई, 1988 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य-सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा-6 का गजट प्रकाशन क्रमांक: प.6(15) नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र जुलाई, 31, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है:-

क्रम सं.	मुकदमा नं.	खातेदार/हितधर का नाम	खसरा नं.	रकबा बी.बि.
1	2	3	4	5
1.	426/88	जीवन पु. जगन्नाथ जाति महाजन सा. [illegible] नगर.	41	27 - 00
2.	427/88	सन्वारीलाल पु. मोहनलाल जा. माली सा. देह	47	16 - 04
3.	429/88	गोपाल पु. सुवा जितावत देवा पुन्नी सुवा जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह	10	03 - 07
			11	04 - 16
			16	03 - 00
			17/1	09 - 07
		श्रीनारायण, गंगा सहाय पि. ग्यारस्या जाति हरि. ब्राह्मण सा. गोल्यावास	17/2	08 - 00
4.	425/88	जगदीश, नारायण पुत्र भैरूराम, नन्छीलाल पुत्र भैरूराम, हीरा नारायण, ताराचन्द पि. भैया पुत्र, बाबूलाल, मुन्नीलाल पि. रामचन्द्र, छोटीलाल पुत्र गोविन्द, कल्याण पुत्र मोहन जाति माली सा. कीता खुर्द बाईस गोदाम	15	00 - 02
			19	02 - 16
			20	04 - 05
			21	03 - 11
			22	03 - 01
			23	02 - 02
			24	00 - 15
			25	00 - 04

1	2	3	4	5
			27	[illegible] - 06
			30	[illegible] - 15
			31	1 - 15
			33	[illegible] - 03
			34	[illegible] - 14
			35	[illegible] - 18
			38	[illegible] - 14
			39	[illegible] - 01
		[illegible] पुत्र पोखमल हि. 1/2 व पुखराज बेवा सूरज मल हि. 1/2 जाति [illegible] सा. [illegible]पुरा जयपुर	36 37 40	[illegible] - 09 [illegible] - 07 [illegible] - 15
5.	432/88	[illegible] पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण सा. गोपालपुरा	56	11 - 13
6.	440/88	[illegible] राम पुत्र नाथू राम जाति बलाई सा. गोल्याबास	53/115 53/120	14 - 09 4 - 07
7.	429/88	[illegible] पुत्र राधा कृष्ण [illegible] कौम ब्राह्मण निवासी [illegible] कृष्ण मार्ग, जयपुर.	42/111	26 - 11

क्र.सं. 1 मुकदमा सं. 426/88 खसरा नं. 41

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 41 रकबा 27बीघा ग्राम बलरामपुरा उर्फ छेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में श्री [illegible] पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन सा० [illegible] नगर खातेदार के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा दिनांक 27.3.91 को नोटिस तामील कराने हेतु जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हस्तब्या रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया । पोस्टमैन द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. पर यह रिपोर्ट अंकित की है कि खातेदार/हितदार ने नोटिस लेने से इन्कार किया" इसके पश्चात दिनांक [illegible].91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 का नोटिस प्रकाशन कराया गया । बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहा । अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

क्रम सं. 2 मुकदमा नं. 427/88 खसरा सं. 47

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 47 रकबा 16बीघा 4बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ छेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में श्री सन्धारी लाल पु. सोहन लाल जाति माली सा. देह के नाम दर्ज है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

क्रम संख्या----3

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा नोटिस तामील कराये जाने हेतु दिनांक 27.3.91 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की तामीली रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने से इन्कार किया तथा नोटिस को चस्पा किया गया। पोस्टमैन की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार ने नोटिस लेने से इन्कार किया। तत्पश्चात दिनांक 16.5.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में खातेदार/हितदार के नाम से प्रकाशन करवाया गया। अतः खातेदार/हितदार के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>क्रम सं. 3 मुकदमा नं. 424/88 ख.नं. 10, 11, 16, 17/1, 17/2, 36, 37, 40</u>

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 10 रकबा 3बीघा 07बिस्वा, ख.नं. 11 रकबा 4बीघा 16बिस्वा, ख.नं. 16 रकबा 3बीघा, ख.नं. 17/1 रकबा 9बीघा 7बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में गोपाल पु. कुका [illegible] बेवा मुन्ना कुका जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम दर्ज है तथा खसरा नं. 17/2 रकबा 8बीघा ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में श्री नारायण, गंगासहाय पि. रामरिख जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम दर्ज है। खसरा नं. 36 रकबा [illegible] 9बिस्वा, ख.नं. 37 रकबा 4बीघा [illegible]बिस्वा, ख.नं. 40 रकबा 6बीघा 15बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में 1/3 प. चौथमल पु. गुलाब बेवा पूरणमल जाति कुमावत के नाम दर्ज है। खसरा नं. 37 व 40 के पत्रावलि प्रकरण सं. 425/88 में से प्रकरण संख्या 424/88 में सम्मिलित किये गये हैं ताकि मुआवजे का निर्धारण एक साथ हो सके।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस, तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा तामील कराये जाने हेतु दिनांक 27.3.91 को जारी किये गये।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

-5-

तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के लेने से इंकार करने पर नोटिस चस्पा किए गए। पोस्टमैन की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से इंकार किया। तत्पश्चात दिनांक 16.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों के माध्यम से खातेदारान/हितदारान के नाम के धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

क्रम सं. 4 मुकदमा सं. 425/88 ख.नं. 15,19,20,21,22,23,24,25,27,30,
31,33,34,35,38,39.

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में भूमि खसरा नं. 15 रकबा 2बिस्वा, ख.नं. 19 रकबा 2बीघा 16बिस्वा, ख.नं. 20 रकबा 4बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 21 रकबा 3बीघा 11बिस्वा, ख.नं. 22 रकबा 3बीघा 1बिस्वा, ख.नं. 23 रकबा 2बीघा 2बिस्वा, ख.नं. 24 रकबा 15बिस्वा, ख.नं. 25 रकबा 4बिस्वा ख.नं. 27 रकबा 8बीघा 6बिस्वा, ख.नं. 30 रकबा 15बिस्वा, ख.नं. 31 रकबा 1बीघा 15बिस्वा, ख.नं. 33 रकबा 3बिस्वा, ख.नं. 34 रकबा 1बीघा 14बिस्वा ख.नं. 35 रकबा 3बीघा 18बिस्वा, ख.नं. 38 रकबा 1बीघा 14बिस्वा, ख.नं. 39 रकबा 01बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास तहसील सांगानेर में श्री जगदीश, नारायण पुत्र खेतराम, नन्छी लाल पुत्र खेतराम, हरिनारायण, तारा चन्द पिता गणेश राम बाबू लाल रामजी लाल पिता रामचन्द्र, छोटीलाल पुत्र गोविन्दा, कल्याण पुत्र मोहन जाति माली सा. कल्याणपुरा बाईस गोदाम के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा दिनांक 27.3.91 जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाह के समक्ष चस्पा किया गया। पोस्टमैन की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया इसके उपरान्त दिनांक 16.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 का नोटिस प्रकाशन कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस प्रकाशन के खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

(उप ...)

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

- 6 -

क्रम सं॰5 मुकदमा नं॰432/88 ख॰नं॰56

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि खसरा नं॰56 रकबा 11बीघा 13बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ ठेकड़ों का बास तहसील सांगानेर में नानगराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को तामील कुनिन्दा व रजि॰ए॰डी॰ द्वारा दिनांक 27.3.91 को नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से इन्कार किये जाने पर दो गवाह के समक्ष नोटिस को चस्पा किया गया। पोस्टमैन की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने से इंकार किया इसके उपरान्त दिनांक 16.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से खातेदार/हितदार को धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस प्रकाशन के खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदार/हितदार के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्रम सं॰6 व 7 मुकदमा नं॰440/86 खसरा नम्बर:53/115,53/120

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि खा॰नं॰53/115 रकबा 14बीघा 9बिस्वा एवं खा॰नं॰53/120 रकबा 4बीघा 07बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ ठेकड़ों का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में काना राम पुत्र नाथू राम जाति बलाई सा॰गोल्यावास के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अंतर्गत दिनांक 28.12.90 को खातेदार को नोटिस दिया गया जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.2.91 खातेदार के लेने से मना करने पर चस्पा किया गया। बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ इसके पश्चात दिनांक 13.4.91 को धारा 9 व 10 का नोटिस खातेदार को जरिये रजि॰ए॰डी॰ भेजा गया जो डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता ने लेने से मना किया वापस आया जो शामिल मिसल किया गया। इसके पश्चात दिनांक 16.5.91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः खातेदार के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र॰सं॰7 मुकदमा नं॰429/88 खा॰नं॰42/111

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खा॰नं॰42/111 रकबा 2बीघा 11बिस्वा ग्राम बलरामपुरा उर्फ ठेकड़ों का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में सुरेश चन्द पुत्र राधा कृष्ण चतुर्वेदी कौम ब्राह्मण निवासी "सी" स्कीम कृष्णा मार्ग, जयपुर के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 15.4.91 को खातेदार को नोटिस दिया गया। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के लेने से इन्कार करने पर चस्पा किया गया। बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को जरिये रजि॰ए॰डी॰

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

——6

द्वारा धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदार को दिये गये । बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 16-5-91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन किया गया । इसके उपरांत दिनांक [illegible]-91 को श्री सुरेश चंद चतुर्वेदी, खातेदार स्वयं उपस्थित हुए । उन्होंने क्लेम एवं भूमि का सार्इट प्लान का नक्शा, भूमि का रेवेन्यू मैप, भूमि के सैटलमेन्ट का पर्चा एवं जमाबंदी की फोटो प्रतियां पेश की । क्लेम की एक प्रति जे.डी.ए. के वकील श्री के.पी. [illegible] को देकर शामिल मिसल किया गया ।

श्री सुरेश चंद चतुर्वेदी पुत्र श्री [illegible] तथा [illegible] चतुर्वेदी ने जो क्लेम पेश किया है वह खा.नं. 42,52 कुल रकबा 34बीघा का पेश किया है । [illegible] खा.नं. 52 एवं खा.नं. 42/111 दोनों का रकबा कुल 26बीघा 12बिस्वा [illegible] में है । खा.नं. 52 पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ जयपुर ने दिनांक [illegible]-6-91 को अवार्ड पर स्थगन आदेश पारित किया था । अतः यहाँ खा.नं. [illegible] का ही अवार्ड किया जा रहा है लेकिन श्री चतुर्वेदी द्वारा खा.नं. 42/111 का क्लेम पेश नहीं किया गया है इस प्रकार श्री चतुर्वेदी द्वारा क्लेम पेश नहीं करने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमा में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील/पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराये गये जो 29-4-91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण:-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दि- 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक [illegible]-91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त, जीवन एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करा ली जावे । इसके उपरांत समय समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को भुगतान [illegible] नहीं किया गया ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किए है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीकृत दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7-7-1988 को हुआ था । विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों का रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खा.नं. के खातेदारान/हितधारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही की है कारण एवं खातेदारान/हितधारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदार/हितदार की ओर से मुआवजा राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक:टी.डी.आर./91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम बलरामपुरा उर्फ [illegible] का भाव में 10,300/-रुपये प्रति बीघा की दर से भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसलिए जहाँ तक इनके पक्ष का संबंध है ठीक व उचित है।

हमने इस संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण(प्रथम) ने भी अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये हैं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है। जविप्रा के अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रु.प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदार/काश्तकार द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया है इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जहाँ तक पेड़-पौधे,कुए,सड़कें एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रेक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किए गए हैं ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "अ" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के नियमानुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "अ" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी,नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 28 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं [illegible] अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

—8

सूचना नहीं दी है कि अतः अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं की स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया जा रहा है।

अतः आज अवार्ड दिनांक [illegible]-8-1991 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-

परिशिष्ट "ए" नक्शा तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर,
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन.

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-6(15)नावि/अवा/87 पार्ट दिनांक 25-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आज दिनांक 25-7-91 को अवार्ड सर इजलास सुनाया गया। अवार्ड शामिल मिसल किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परीशिष्ट "ब" मुआवजा तालिका ग्राम खसरा मथुरा उर्फ छेजड़ो का पास

प्रकरण नं.		काश्तकार/खितदार का नाम	ख.नं.	रकबा बी. बि.	मुआवजे की राशि पर प्र.बी.	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि पर 12 % अति.	सोलेशियम 30 % राशि	कुल राशि	वि.वि.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. 6,48000	8.	9.	10.	11.
1.	425/88	जीवन पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन	41	27-00	24,000/-	6,40,000/-	2,28,096/-	1,94,400/-	10,70,496/-	10,71,296
2.	427/88	लक्ष्मी बाई पत्नी मोहन लाल जाति माली	47	16-04	"	3,88,800/-	1,36,857/-	1,16,640/-	6,42,297/-	
3.	424/88	मोहन पुत्र [illegible] पुत्री [illegible]	10 11 16 17/1	03-07 04-13 03-00 09-27 20-12	"	4,94,400/-	1,74,028/-	1,48,320/-	8,16,748/-	
"		नारायण, गंगा सहाय पि. [illegible] जाति [illegible]	17/2	08-00	"	1,92,000/-	67,584/-	57,600/-	3,17,184/-	
4.	422/88	[illegible] नारायण पु. [illegible] [illegible] [illegible] जाति माली [illegible] मोहन	15 19 20 21 22 23 24 25 27 30 31 33 34 35 38 39	00-02 02-11 04-07 03-11 03-01 02-02 00-15 00-04 08-06 00-15 01-15 00-03 01-19 03-18 01-14 00-01 35-02	"	8,42,400/- 8,18,400	2,96,525/- 2,88,074	2,52,720/- 2,45520	13,91,645/- 13,51,994	
		[illegible] पु. [illegible] 1/2 [illegible] 1/2 [illegible]	36 37 40	00-09 04-07 [illegible]	"	2,77,200/- 2,77200	97,574/- 97574	83,160/- 83160	4,57,934/- 457934	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास, [illegible]

....2

- U -

1/2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]/88	मानाराम पुत्र लखीनाराम जाति ब्राह्मण ग्रा० गोपालपुरा	56	11-13	24,000/-	2,79,800/- (279600)	98,919/-	83,880/- (83880)	4,61,877/-
6. [illegible]/88	नाना राम पुत्र नाथू राम जाति ब्राह्मण ग्रा० गोल्यावास	53/115 53/120	14-09 04-07 18-16	"	4,51,200/-	1,58,822/-	1,35,360/- (1,35360)	7,45,382/-
7. 429/88	सुरेश चन्द पुत्र राधा कृष्ण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी " [illegible] कृष्णा मार्ग जयपुर ।	42/111	26-11	"	6,37,200/-	2,24,294/-	~~1,21,654/-~~ 1,91160	10,52,654/-

नोट:- 1. सोलेशियम 30 प्रतिशत कालम संख्या 7 पर मुआवजा राशि पर देय होगी ।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4, 1, 1 का प्रकाशन दिनांक 7-7-1988 से 12-5-1991 तक की गई है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।